संख्या- 25/2016/1050 ई-2/तेरह-2016-37/1999

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 10 मई,2016

विषय:-स्टार आफ ताज रेस्टोरेन्ट, प्लाट नं0-80, ताज नगरी योजना, ताजगंज, तहसील सदर, आगरा को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-401/आबकारी सहा0/2015-16, दिनांक 01 फरवरी,2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दि0 22-01-2016 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-23/दस-लाइसेंस-12/खण्ड-8/एफ0एल0-6,7/बार अनु0/आगरा, दिनांक 28 अप्रैल,2016 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त एतद्द्वारा स्टार आफ ताज रेस्टोरेन्ट, प्लाट नं0-80, ताजनगरी योजना, ताजगंज, तहसील सदर, आगरा को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि स्टार आफ ताज रेस्टोरेन्ट के पंजीकृत होने के सम्बन्ध में अभिलेख यथा-मेमोरेण्डम आफ आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन/निगमन प्रमाण पत्र, बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा बार अनुज्ञापन हेतु पारित रिजोल्यूशन तथा अधिकृत प्रतिनिधि के पक्ष में जारी पावर आफ अटार्नी की प्रति जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही बार अनुज्ञापन जारी किया जायेगा।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-25/2016/1050(1) ई-2/तेरह-2016, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या- जी-23/दस-लाइसेंस-12/खण्ड-8/एफ0एल0-6,7/बार अनु0/आगरा, दिनांक 28 अप्रैल,2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।